प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/04/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता जगदीश चन्द्र धाकड़ ने **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम सरकीकुडी पटवार हल्का गणेशपुरा में स्थित आराजी नम्बर 93 व 120/92 में आने जाने के लिये 12 फिट रास्ता आराजी नम्बर 98/2 के उत्तरी पश्चिमी कोने से पश्चिम दिशा में स्थित विपक्षीगण की कृषि भुमि जो विपक्षी संख्या 1 की आराजी 98/1 व विपक्षी संख्या 2 की आराजी नम्बर 148/98 व विपक्षी संख्या 3 लगायत 5 की आराजी नम्बर 116/98 व विपक्षी संख्या 6 की आराजी नम्बर 133/98 व आराजी नम्बर 92 की उतरी मेर पर पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 120/92 व 93 पर पहुँचता है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी कदीमी समय से करता आ रहा है उक्त कदीमी रास्ते को विपक्षीगण ने हॉक कर रास्ते को सकड़ा कर दिया है। तथा आये दिन अवरोध उत्पन्न करते रहते हैं जिससे गाडी गडार व टेक्टर का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। प्रार्थी आवेदक के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कदीमी समय (वर्षो) से करता आ रहा है। प्रार्थी आवेदक विपक्षीगण की आराजी नम्बर 98/1, 148/98, 116/98, 133/98, 92 की उतरी मेर के सहारे 12 फिट चौड़े रास्ते के बदले में तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। आवेदन पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया गया है। अतः निवेदन है कि पुराने रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखो में उक्त रास्ते को बिलानाम गै० मु० रास्ता दर्ज अभिलेख किये जाने का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां संवत् 2073–2076 ग्राम सरकी कुंडी एवं नजरी–नक्शा उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 23.05.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार धाकड़ ने अन्डर टेकिंग ली एवं अधिवकार पत्र पेश किया।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण ने विपक्षीगण संख्या 2 से 6 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपने जवाब में अंकित किया कि आवेदन पत्र की चरण की कलम संख्या 1 से लगायत 4 में वर्णित तथ्य जवाब की मोहताज नही है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 (द) मे विपक्षीगण की आराजीयात से आने जाने का जो रास्ता चाहा गया हैं वह सरासर गलत होकर मनगढ़त है। आवेदपत्र की चरण संख्या 5 मे वर्णित तथ्य गलत मनगढंत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 93 एंव 120/92 में आने जाने के लिये 12 फीट चौड़ रास्ता प्रार्थनापत्र मे चाहा जाकर वर्णित किया गया हैं उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जानें के लिये कभी नही किया है। विपक्षीगण की आराजी अलग–अलग खातेदारो के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी संख्या 93 एंव 120/92 मे आने जाने का रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात मे होकर कभी नही रहा है। प्रार्थीगण के पास बिलानाम आराजी संख्या 98/2 के उत्तरी छोर से आराजी संख्या 99 में प्रवेश कर दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता हुआ आराजी संख्या 117/98 में प्रवेश कर आराजी संख्या 117/98 के पूर्वी छोर से दक्षिण दिशा के सहारे सहारे आराजी संख्या 97 में प्रवेश करता हैं।

पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजोलियां जिला-भीलवाड़ा

जो आराजी संख्या 97 के दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 120/92 में प्रवेश करता हैं उक्त रास्ते के लोहे की फाटक लगी हुई होकर उक्त रास्ता वर्तमान मे चालु है। यानि प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आने जाने के लिये हुई वैकल्पिक एवं चालु रास्ता मौजूद हैं इस कारण कि प्राथी को नया रास्ता अन्य जगह से मांगे जाने का कोई अधिकार नही हैं। यह तथ्य सरासर गलत हैं मनगढंत एवं काल्पनिक है। प्रार्थी विपक्षीगण की 98/1, 148/98, 116/98, 133/98 एवं 92 में रास्ता दर्ज रेकार्ड कराने का अधिकारी नही होकर आवेदन पत्र खारीज योग्य है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार हैं प्रार्थी के पास अपनी आराजी में जाने के लिये बिलानाम आराजी संख्या 98/2 के उत्तरी छोर से आराजी संख्या 117/98 में प्रवेश कर आराजी संख्या 117/98 के पूर्वी छोर से दक्षिण दिशा के सहारे सहारे आराजी संख्या 97 मे प्रवेश करता है जो आराजी संख्या 97 के दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 120/92 में प्रवेश करता है उक्त रास्ते के लोहे की फाटक लगी हुई होकर उक्त वैकल्पिक मार्ग मौजूद होकर उक्त रास्ता वर्तमान मे चालु है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 6 मे चाहा गया रास्ता गलत होकर मनगढंत एंव विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से मांगा गया है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 8 अस्वीकार हैं नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता कभी नहीं रहा है एवं प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद हैं ऐसी स्थिति में विपक्षी की आराजीयात मे से नया रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 9 राजस्व रेकार्ड अनुसार है। विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए प्रार्थी बिलानाम आराजी संख्या 98/2 के उत्तरी छोर से आराजी संख्या 99 दक्षिणी दिशा के सहारे सहारे आराजी संख्या 117/98 में प्रवेश कर आराजी संख्या 117/98 के पूर्वी छोर से दक्षिण दिशा के सहारे सहारे आराजी संख्या 97 में प्रवेश करता है जो आराजी संख्या 97 के दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 120/92 में प्रवेश करता हैं उक्त रास्ते के लोहे की फाटक लगी हुई होकर उक्त रास्ता वर्तमान मे चालु है। प्रार्थी अपनी आराजी पर जाने के लिये इसी रास्ते का सदैव उपयोग करते रहे है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब कोई वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं हो तो ही आत्यांतिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये रास्ता दिया जा सकता हैं, सिर्फ सुविधा के लिये नया रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही हैं, उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से नया मार्ग नही दिया जा सकता है। उक्त वैकल्पिक रास्ते के उपयोग उपभोग मे खातेदारो द्वारा कोई आपत्ति की जाती होगी एवं प्रार्थी विपक्षीगण से अदावत रखता हैं एवं कहता हैं कि रास्ता तो विपक्षीगण की जमीन मे से ही लेकर रहूंगा चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाये, इस कारण प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी मे रास्ता कायम करने का आवेदन पेश किया है, जबकि प्रार्थी को यह आवेदन आराजी संख्या 99, 117/98 एंव 97 में उपलब्ध रास्ते को रेकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु पेश करना चाहिये था। उक्त वर्णित वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इस कारण यह आवेदनपत्र चलने योग्य नही है। इस वैकल्पिक रास्ते का नजरी नक्शा लाल रंग से दर्शाते हुये पेश है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र आत्यंतिक आवश्यकता की पूर्ति नही कर केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए पेश किया गया हैं जो वैधानिक प्रावधाननुसार चलने योग्य नहीं है। विशेषकर जब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं तो नया मार्ग नही दिया जा सकता हैं। इस आधारो पर प्रार्थीगण का आवेदन खारिज योग्य हैं।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर पत्रांक/रीडर/2025/1455 दिनांक 16.07.2025 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1319 दिनांक 07.08.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि :– भू0अ0नि0 उमाजी का खेडा एवं पटवारी हल्का गणेशपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सरकीकुडी के आराजी नं. 93 व 120/92 का मौका निरीक्षण किया गया। ग्राम सरकीकुडी के आराजी नं0 120/92 रकबा 0.3804 है0 व आ0नं0 93 रकबा 0.3804 है0 मौ. हीरा पुत्र भवंरलाल धाकड सा0 गणेशपुरा के

तारा संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए ग्राम सरकीकुडी के आराजी नं0 98/2, 98/1, 148/98, 116/98, 133/98, 92 मे से 12 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। आ0नं0 98/1 रकबा 0.3237 है0 भूमि बंशीलाल पुत्र देबीलाल मेघवंशी सा0 गणेशपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नं0 98/2 रकबा 0.0971 है0 भूमि बिलानाम सरकार, आ0नं0 148/98 रकबा 0.4937 है0 भूमि सुगनलाल पुत्र काना धाकड सा0 गणेशपुरा के नाम, आ.नं. 116/98 रकबा 0.4937 है0 भूमि अमित कुमार पुत्र शम्भुलाल हिस्सा 1/3 धाकड, यशोदा पुत्री शम्भुलाल हिस्सा 1/3 सा. गणेशपुरा, सरजू पत्नी शम्भुलाल हिस्सा 1/3 धाकड सा. गणेशपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है। आ.नं. 116/98 रकबा 0.4937 है0 भूमि आईसीआईसी बैंक शाखा बिजौलियां के नाम रहन दर्ज है। आ. नं. 133/98 रकबा 0.3237 है0, आ0नं0 92 रकबा 0.4371 है0 भूमि गुलाबी पत्नी स्व. खाना धाकड सा0 गणेशपुरा के नाम से खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते को सलंग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। विवरण निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	आ0नं0	कुल रकबा (है0 में)	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा (है0 में)
1.	98/1	0.3237	0.0081
2.	98/2	0.0971	0.0040
3.	148/98	0.4937	0.0176
4.	116/98	0.4937	0.0203
5.	133/98	0.3237	0.0122
6.	92	0.4371	0.0203
	योग		0.0825

उक्त आराजी नं0 98/1, 98/2, 148/98, 116/98, 133/98, 92 आबादी से 2 कि0मी0, एन.एच. से 2.5 कि0मी0, खनन स्वीकृत क्षेत्र से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। अप्रार्थी सुगनलाल पिता काना धाकड ने बताया कि पिछले 30–35 वर्षो पहले तक प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते मे से कभी नही निकले। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता रेकार्ड से दर्ज गेमु0 रास्ते से मिला हुआ नही है। आ0नं0 120/92, 93 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रस्तावित रास्ता उक्त आराजीयात् के उतरी मेड के सहारे प्रस्तावित है। बंशीलाल पुत्र देबीलाल मेघवंशी की मृत्यु हो चुकी है।

ग्राम सरकीकुडी की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 98/1, 98/2, 148/98, 116/98, 133/98, 92 कुल किता 6 में से रकबा 0.0825 है0 भूमि की डी.एल.सी. दर 381900/– रू0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 31507/– रूपये का दुगुना से 63014/– रूपये की राशि बनती है।

तहसीलदार बिजौलियां ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ खसरा नक्शा, नकल जमाबन्दीयां मय नक्शा ट्रेस पेश किया।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण ने पुनः प्रस्तुत मौका निरीक्षण प्रार्थन पत्र में अंकित किया कि उक्त प्रकरण मे रास्ते हेतु चाही गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार बिजौलिया से दिनांक 07/08/2025 को प्राप्त हो चुकी ळें प्रकरण मे श्रीमान के आदेशानुसार भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मे उठाई गई आपत्तियो एंव जवाब प्रार्थना–पत्र मे वर्णित वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध मे कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया हैं जबकि विपक्षीगण की जिस भूमि मे जिस स्थान से रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं उक्त स्थान पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुये हैं एवं चालु वैकल्पिक रास्ता जिसका अंकन विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मे किया गया हैं उसके सम्बंध मे किसी प्रकार का उल्लेख मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे नही किया

लगातार पेज संख्या 05 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

(मुहर: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा)

ा है। इससे जाहिर हैं कि श्रीमान के कार्यालय से मौका रिपोर्ट मंगाने हेतु जो तहरीर जारी की गई नके साथ सिर्फ प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की फोटो प्रति संलग्न कर भिजवाई गई, विपक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत ाब प्रार्थना–पत्र की कॉपी तहरीर के साथ संलग्न कर तहसील कार्यालय मे नही भिजवाई गई जिससे ाब प्रार्थना–पत्र मे विपक्षीगण के द्वारा उठाई गई आपत्तियो एंव जवाब प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो के धार पर वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में स्पष्ट एंव सही रिपोर्ट कायम नही की जा सकी है। अगर भिजवाई ई होती तो वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध मे जवाब प्रार्थनापत्र के आधार पर रिपोर्ट मे उल्लेख अवश्य किया ता। विपक्षी सुगनलाल द्वारा मौके पर बताये गये वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट मे ही किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के साथ वैकल्पिक रास्ते के फोटो ग्राफ भी वाब के साथ पत्रावली मे पेश कर रखे है। विपक्षीगण की उपस्थिति मे विपक्षीगण के जवाब प्रार्थना–पत्र मे ठाई गई आपत्तिया एवं वैकल्पिक रास्ते के तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई ाना प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जांच रिपोर्ट पर आक्षेप लगाने पर पुनः इस ्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/2003 दिनांक 24.10.2025 से चाही गयी। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण/मौका रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/1752 दिनांक 27.10.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी नवीन स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि भू०अ०नि० उमाजी का खेडा एवं पटवारी हल्का गणेशपुरा द्वारा मौका पर्चा अनुसार ग्राम सरकीकुडी में उक्त ्रकरण में रास्ते हेतु चाही गई मौका निरीक्षण रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आ०नं० 120/92, 92 में पहुंचने के लिए आ. ं. 98/2 की उतरी मेड से आ०नं० 99 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे आ०नं० 117/98 में प्रवेश कर आ०नं० 117/98 के पूर्वी छोर से दक्षिण दिशा के सहारे आ०नं० 97 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता ुआ रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आ०नं० 120/92 में प्रवेश करना बताया गया है। ग्राम सरकीकुडी के ख०नं० 98/2 रकबा 0.0971 है० बिलानाम एवं आ.नं. 97 रकबा 0.7446 है० भूमि भोज्या पुत्र गैरू भील सा. ांमा, आ०नं० 99 रकबा 0.6070 है० भूमि उदा पुत्र दोला भील सा० पारसनाथ जी का झोपडा मजरा बिजौलिया कलां के नाम खातेदारी एवं आ.नं. 117/98 रकबा 0.0809 है० भूमि बिलानाम सरकार दर्ज ्कार्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता एवं प्रार्थना पत्र में अंकित वैकल्पिक रास्ता, राजस्व रेकार्ड में दर्ज ामु० रास्ता आ०नं० 85 से मिलता हुआ नही होकर 220 मीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ते र बडे–बडे पेड़ होना अंकित किया है। मौके पर आम एवं अमरूद के करीबन 8 वर्ष पूर्व में लगाये गये पेड ै जो ज्यादातर कोट के सहारे स्थित है। मौके पर वादी हीरालाल पिता भंवरलाल धाकड व बनवारी पुत्र हीरालाल धाकड निवासी गणेशपुरा ने हस्ताक्षर करने से मना किया गया। अतः मौका रिपोर्ट, नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा की प्रतियां संलग्न की है।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष प्रार्थी को दिलाने हेतु निवेदन किया जबकि अधिवक्ता विपक्षीगण ने दौराने बहस बताया कि प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिए ग्राम सरकी कुंडी की आ.नं. 98/2 की उतरी मेड से आ०नं० 99 की दक्षिणी मेड के सहारे–सहारे आ०नं० 117/98 में प्रवेश कर आ०नं० 117/98 के पूर्वी छोर से दक्षिण दिशा के सहारे आ०नं० 97 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे होता हुआ रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आ०नं० 120/92 में प्रवेश करना बताया है। अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने के लिए उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद होकर उक्त रास्ते के लोहे की फाटक लगी हुयी हैं व उक्त वैकल्पिक रास्ते एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी समान है।

लगातार पेज संख्या ... पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

सके जीपीएस फोटोग्राफ अधिवक्ता विपक्षी की ओर से दौराने बहस प्रस्तुत किये गयें साथ ही विपक्षी ता ने बताया कि प्रार्थी की विपक्षीगण की आराजीयात में से होकर नही निकला हैं। प्रार्थी द्वारा ण की भूमि में चाहे गये रास्ते की भूमि पर मौके पर आम एवं अमरूद के करीबन 8 वर्ष पुराने पेड़ ए हैं जिसकी ताईद तहसीलदार बिजौलियां द्वारा दिनांक 27.10.2025 को प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। यह भी बताया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज गे0मू0 आ0नं0 85 से मिलता हीं होकर 220 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। जिस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार ाकर खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया हैं।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस ने एवं तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्टो का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए हैं कि :–

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम सरकीकुडी पटवार हल्का गणेशपुरा में स्थित आराज़ी 3 व 120/92 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 98/1, 148/98, 116/98, 3, 92 में चाहे गये रास्ते हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी म 1955** अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं, प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में ाने हेतु नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहे उसके लिए स्वतंत्र होगा।

आदेश आज दिनांक 20/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर ा गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थनापत्र संख्या :– **177 / 2024** दायर तारीख **24 / 05 / 2024**

क्रमांक / रीडर / 2026 / ९७२

प्रेषिति :– दिनांक : २७/०७/**2026**

तहसीलदार
बिजौलियां

विषय :– राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 177 / 2024 दायर तारीख 23 / 05 / 2024 **अनवान** हीरा पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 65 वर्ष निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **बनाम** बंशीलाल पुत्र देबीलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा **(मृतक) के निम्न कानूनी वारिसान हैं।** 1.1 जेली पत्नि बंशीलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा वगै0 **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** में पालना / सूचना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 177 / 2024 दायर तारीख 24 / 05 / 2024 **अनवान** हीरा पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र 65 वर्ष निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) **बनाम** बंशीलाल पुत्र देबीलाल जाति मेघवाल निवासी गणेशपुरा **(मृतक) के निम्न कानूनी वारिसान हैं।** 1.1 जेली पत्नि बंशीलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा वगै0 **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत् प्रकरण अस्वीकार किया गया हैं। जिनके आदेश की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित हैं।

अतः संलग्न आदेश की नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– आदेश की फोटो प्रति।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां